2026:AHC:20558

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या **- 3673,** वर्ष **2025**

राजेश .....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य .....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : सुनील कुमार पांडे

प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : आनन्द मणि त्रिपाठी, सी.एस.सी., पंकज कुमार गुप्ता, सत्य प्रकाश मिश्र

<u>न्यायालय संख्या.- **55**</u>

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री ओम आनंद, श्री सत्य प्रकाश मिश्रा, निजी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता की दलीलें सुनी गईं।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

"I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 6 से 9 द्वारा ग्राम सभा की संपत्ति—गाटा संख्या 53, क्षेत्रफल 0.1000 हेक्टेयर (नवीन परती)—पर किए गए अवैध अतिक्रमण को, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर हटा दें; यह संपत्ति ग्राम गौरिया नैन, तहसील हर्रैया, जिला बस्ती में स्थित है।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन भूखंड में हुई प्रविष्टि के मद्देनज़र, अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे उक्त भूखंड से अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कदम उठाएँ।

4. इस न्यायालय ने विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।

5. इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, उप-विभागीय अधिकारी, हर्रैया, बस्ती द्वारा दिनांक 9.1.2026 को भेजा गये निर्देश को अभिलेख पर लिया गया।

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 9.1.2026 के निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध तीन मामले दर्ज किए गए हैं, जो भूखंड संख्या 53 पर कब्ज़े में पाए गए हैं। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त मामलों के निस्तारण के पश्चात्, संबंधित प्राधिकारी उचित कदम उठाएँगे। इन तीनों मामलों का विवरण निम्नलिखित है:

"मुकदमा संख्या T202517140120262 (गांव सभा बनाम नान), T202517140120263 (गांव सभा बनाम राज कुमार) और मुकदमा संख्या T202517140120264 (गांव सभा बनाम रामधनी), यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत"

7. निजी प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादी अवैध कब्ज़े में नहीं हैं और यह जनहित याचिका सही तथ्यों के साथ दायर नहीं की गई है।

8. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रस्तुत जनहित याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, तहसील-हर्रैया, जिला-बस्ती, उप्र राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत उपर्युक्त वाद संख्या T202517140120262 (गाँव सभा बनाम नान), T202517140120263 (गाँव सभा बनाम राजकुमार) एवं वाद संख्या T202517140120264 (गाँव सभा बनाम रामधनी) का विनिश्चय, पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उपरांत, विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

29 जनवरी 2026
रमीज़

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"